माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2022 को ग्राम-धनपुंजी, जिला- बस्तर (छ.ग.) के कृषक श्री सुरेन्द्र नाग, के कृषि भूमि में 01 लाखवाँ सोलर पंप स्थापित होने पर हितग्राही को स्मृति चिन्ह के रुप में सोलर पंप का कटआउट प्रदान कर सम्मानित किया गया।

CREDA

## छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)

ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

Toll Free No.18001234591

Log on: www.creda.co.in

# सौर सुजला योजना

## सौर सिंचाई पंपों से बदले नज़ारे... लहलहाए खेत हमारे...

सौर सुजला योजना

राज्य में उपलब्ध कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने एवं अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कृषि की सिंचित रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में सौर सुजला योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ राज्य निर्माण दिवस 01 नवम्बर 2016 को किया गया, जिसके अंतर्गत कृषि भूमि में 03 एवं 05 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना की जाती है। इसी के तहत् राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरुवा, घुरुवा एवं बाड़ी अंतर्गत गौठानों / चारागाहों तथा पंजीकृत गौशालाओं में भी सोलर पम्पों की स्थापना की जा रही है। योजनांतर्गत अब तक 01 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश कृषक आदिवासी एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हैं। स्थापित सोलर पंपो से प्रदेश के लगभग 1,20,000 हेक्टेयर कृषि-भूमि में सिंचाई की जा रही है तथा विगत 05 वर्षों में लगभग 6.55 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है।

सोलर पंप के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल संरक्षण व संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था व जीवन स्तर को मजबूती प्रदान करने में सहायता प्राप्त हुई है। इस योजना के माध्यम से कृषक वर्षाकाल के अतिरिक्त प्रतिवर्ष दो अतिरिक्त फसलों का लाभ ले रहे हैं तथा सिंचाई हेतु परम्परागत विद्युत पर निर्भरता भी कम हुई है। उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक सोलर पम्पों की स्थापना की गई है। राज्य में योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं सोलर पम्पों की लगातार मांग के फलस्वरुप केन्द्र शासन द्वारा भी प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

## सौर सिंचाई पंप हेतु कृषक अंशदान

**3 एचपी**

- अ.जा./अ.ज.जा. – ₹ 7,000
- अ.पि.व. – ₹ 12,000
- सामान्य वर्ग – ₹ 18,000

(प्रोसेसिंग शुल्क ₹3000 अतिरिक्त)

**5 एचपी**

- अ.जा./अ.ज.जा. – ₹ 10,000
- अ.पि.व. – ₹ 15,000
- सामान्य वर्ग – ₹ 20,000

(प्रोसेसिंग शुल्क ₹4800 अतिरिक्त)

ग्राम- कुटुमबुड़ा, जिला-गरियाबंद

**श्री भूपेश बघेल**
माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन

**छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)**
ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

CREDA

Toll Free No. 18001234591
Log on: www.creda.co.in

व्ही.आई.पी.रोड, ऊर्जा शिक्षा उद्यान के पास, फुण्डहर चौक, रायपुर (छ.ग.)